Punjab Government Gazette

Published by Authority

No. 48] CHANDIGARH, FRIDAY, NOVEMBER 28, 2025 (AGRAHAYANA 7, 1947 SAKA)

PART II

Statutory Notifications and Republications from Gazette of India/Punjab

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 — Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 76/PB-LS/06/2024/CEMS-I — **Dated:** 17th November, 2025 / 26 Kartika, 1947 (Saka)

ORDER

WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Punjab, 2024, for **06- Anandpur Sahib** Parliamentary Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. **464/EPS/2024(7)**, dated **7th May, 2024**; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be a true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **06- Anandpur Sahib** Parliamentary Constituency of Punjab, 2024 was declared by the Returning Officer on 04th June, 2024 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 4th July, 2024; and

WHEREAS, as per the report dated 05.07.2024 of **DEO, Rupnagar** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the CEO, Punjab vide his letter no. Elec-2024/R-7458, dated 22.07.2024 stating that **Sh. Satpal**, a contesting candidate from **06-Anandpur Sahib** Parliamentary Constituency of state of Punjab has failed to lodge the account of his election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a 'Show-Cause Notice' No. 76/PB-LS/06/2024/CEMS-I, dated 31st January, 2025 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Satpal**, for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Satpal** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of his election expenses with the District Election Officer, **Rupnagar** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the **DEO, Rupnagar** has reported that the said 'Show Cause Notice' was served to **Sh. Satpal** on **03.02.2025**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Rupnagar** in his Supplementary Report no. Elec.2025/783; dated 14.08.2025 has reported that **Sh. Satpal** has not submitted any representation or statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Satpal** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

WHEREAS, on basis of the facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Satpal** has failed to lodge the account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Satpal**, resident of **Vill- Chankoi, P.O. Gulpur, Tehsil Balachaur, Dist. SBS Nagar/Nawanshahr, Punjab** and a contesting candidate from **06- Anandpur Sahib** Parliamentary Constituency of State of Punjab, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

(RAKESH KUMAR)
SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA

To

Sh. Satpal,
Vill- Chankoi, P.O.- Gulpur,
Tehsil Balachaur, Dist. SBS Nagar/Nawanshahr,
Pin-144521, Punjab.

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

सं. 76/पंजा0.-लो.स./06/2024/सीईएमएस-I दिनांक: 17 नवंबर, 2025 / 26 कार्तिक, 1947 (शक)

आदेश

यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/ईपीएस/2024(7) दिनांक 7 मई, 2024 के अनुसरण में पंजाब के लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, **06-आनंदपुर साहिब** के लिए साधारण निर्वाचन,2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, असम के **06-आनंदपुर साहिब** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 04 जून, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 04 जुलाई, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब से उनके दिनांक 22.07.2024 के पत्र सं. Elec-2024/R-7458, के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, **रूपनगर** की दिनांक 05.07.2024 की रिपोर्ट के अनुसार, **श्री सतपाल,** जो पंजाब के **06-आनंदपुर साहिब** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **रूपनगर** की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत **श्री सतपाल** को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/PB-LS/06/2024/सीईएमएस-I, दिनांक 31.01.2025 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, **श्री सतपाल** को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, **रूपनगर** जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **रूपनगर** ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस **श्री सतपाल** को दिनांक 03.02.2025 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **रूपनगर** ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट पत्र संख्या Elec.2025/783, दिनांक 14.08.2025 के द्वारा सूचित किया है कि **श्री सतपाल** ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, **श्री सतपाल** द्वारा विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है ,दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।":

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री सतपाल** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, **अब,** लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि असम के **06-आनंदपुर साहिब** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **श्री सतपाल, निवासी- गांव- चनकोई, डाकघर- गुलपुर, तहसील- बालाचोर, जिला-एस. बी. एस नगर/ नवानशहर, पंजाब, पिन – 144521,** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

(राकेश कुमार)
सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

सेवा में

श्री सतपाल,
गांव- चनकोई, डाकघर- गुलपुर,
तहसील- बालाचोर, जिला-एस. बी. एस. नगर/ नवानशहर,
पंजाब, पिन – 144521.

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 76/PB-LS/06/2024/CEMS-I **Dated:** 17th November, 2025 / 26 Kartika, 1947 (Saka)

ORDER

WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Punjab, 2024, for **06- Anandpur Sahib** Parliamentary Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. **464/EPS/2024(7)**, dated **7th May, 2024**; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his/her election expenses which shall be a true copy of the account kept by him/her or his/her election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the election for **06- Anandpur Sahib** Parliamentary Constituency of Punjab, 2024 was declared by the Returning Officer on 04th June, 2024 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 4th July, 2024; and

WHEREAS, as per the report dated 05.07.2024 of **DEO, Rupnagar** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the CEO, Punjab vide his letter no. Elec-2024/R-7458, dated 22.07.2024 stating that **Ms. Kiran Jain**, a contesting candidate from **06-Anandpur Sahib** Parliamentary Constituency of state of Punjab has failed to lodge the account of her election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a 'Show-Cause Notice' No. 76/PB-LS/06/2024/CEMS-I, dated 31st January, 2025 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Ms. Kiran Jain**, for not lodging of the account of Election Expenses; and

WHEREAS, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Ms. Kiran Jain** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of her election expenses with the District Election Officer, **Rupnagar** District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, the **DEO, Rupnagar** has reported that the said 'Show Cause Notice' was served to **Ms. Kiran Jain** on **03.02.2025**; and

WHEREAS, the District Election Officer, **Rupnagar** in his Supplementary Report no. Elec.2025/783; dated 14.08.2025 has reported that **Ms. Kiran Jain** has not submitted any representation or statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Ms. Kiran Jain** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of her election expenses as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

WHEREAS, on basis of the facts and available records, the Commission is satisfied that **Ms. Kiran Jain** has failed to lodge the account of his election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Ms. Kiran Jain,** resident of **H.No. 376, Gali No. 21, Sarpanch Colony, Bhagoo Majra, Kharar** and a contesting candidate from **06- Anandpur Sahib** Parliamentary Constituency of State of Punjab, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

(RAKESH KUMAR)
SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA

To

Ms. Kiran Jain,
H.No. 376, Gali No. 21,
Sarpanch Colony, Bhagoo Majra, Kharar,
Punjab, Pin-140307.

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

सं. 76/पंजा0.-लो.स./06/2024/सीईएमएस-I

दिनांक: 17 नवंबर, 2025
26 कार्तिक, 1947 (शक)

आदेश

यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/ईपीएस/2024(7) दिनांक 7 मई, 2024 के अनुसरण में पंजाब के लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, 06-आनंदपुर साहिब के लिए साधारण निर्वाचन,2024 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, असम के 06-आनंदपुर साहिब संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2024 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 04 जून, 2024 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 04 जुलाई, 2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब से उनके दिनांक 22.07.2024 के पत्र सं. Elec-2024/R-7458, के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, रूपनगर की दिनांक 05.07.2024 की रिपोर्ट के अनुसार, सुश्री किरण जैन, जो पंजाब के 06-आनंदपुर साहिब संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रही हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रूपनगर की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत सुश्री किरण जैन को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/PB-LS/06/2024/सीईएमएस-I, दिनांक 31.01.2025 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, सुश्री किरण जैन को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, रूपनगर जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रूपनगर ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस सुश्री किरण जैन को दिनांक 03.02.2025 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, रूपनगर ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट पत्र संख्या Elec.2025/783, दिनांक 14.08.2025 के द्वारा सूचित किया है कि सुश्री किरण जैन ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, सुश्री किरण जैन द्वारा विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है ,दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।":

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **सुश्री किरण जैन** अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रही हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि असम के 06-आनंदपुर साहिब संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थी, **सुश्री किरण जैन, निवासी- मकान सं. 376, गली नं. 21, सरपंच कालोनी, भागो माजरा, खारर, पंजाब, पिन – 140307**, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगी।

(राकेश कुमार)
सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

सेवा में

सुश्री किरण जैन,
मकान सं. 376, गली नं. 21,
सरपंच कालोनी, भागो माजरा, खारर,
पंजाब, पिन – 140307.

3564/11-2025/Pb. Govt. Press, S.A.S. Nagar